उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2004[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2004]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 12 अगस्त, 2004 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 13 अगस्त, 2004 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य राजमार्गो के विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिए एक राज्य प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्घ करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह 21 जून, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण से है ;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है ;

(ग) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है ;

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित प्राधिकरण के शासी परिषद् से है ;

(ङ) "समिति" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से है ;

(च) "कर्मचारी" का तात्पर्य प्राधिकरण के पूर्णकालिक या प्राधिकरण द्वारा यथाविनिश्चित अवधि के लिए सेवारत व्यक्ति से है ;

(छ) "राज्य राजमार्ग" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा तत्समय राज्य राजमार्ग जिसके अन्तर्गत उस पर के पुल भी हैं के रूप में घोषित किसी राजमार्ग से है।

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें ।

अध्याय–2

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना

3–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे एक प्राधिकरण की स्थापना की जायगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कहा जायेगा ।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

शासी परिषद्

4–शासी परिषद् प्राधिकरण की उच्चतम नीति निर्माता निकाय होगी और उसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। परिषद् के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगेः–

(क) मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	उपाध्यक्ष
(ख) मंत्री, वित्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(ग) मंत्री, नियोजन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(घ) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(ङ) प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(च) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(छ) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(ज) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(झ) दो विशेषज्ञ जो शासी परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे ;	विशेषज्ञ–सदस्य
(ञ) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य संयोजक

शासी परिषद् के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

5–(1) विशेषज्ञ सदस्यों से भिन्न शासी परिषद के सभी सदस्य पदेन सदस्य होंगे।

(2) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों को, जिनमें से एक अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन या बैंकिंग के क्षेत्र का, और दूसरा सिविल (अधिमानतः, सड़क) निर्माण के क्षेत्र का, होगा, परिषद् द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।

शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता

6–कोई व्यक्ति शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह–

(क) ऐसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है ; या

(ख) अनुन्मोचित दीवालिया है ; या

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है ; या

(घ) सरकार की या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है ; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है, जिसका शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके द्वारा कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

शासी परिषद् के अधिवेशन

7–(1) शासी परिषद् के अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होंगे और उन अधिवेशनों में किये जाने वाले कार्य के बारे में, जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाएं।

(2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष शासी परिषद् के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, उपाध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष आएं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का. अथवा उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

शासी परिषद् में रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

8–शासी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी, कि–

(क) शासी परिषद में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या

(ग) शासी परिषद् द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

कार्यकारिणी समिति

9–एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसका प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा। यह समिति शासी परिषद् को रिपोर्ट देगी और वह ऐसे कृत्यों के प्रति उत्तरदायी होगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो शासी परिषद् द्वारा विहित किये जायं अथवा उसे सौंपे जायं।

कार्यकारिणी समिति का गठन

10–कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	अध्यक्ष
(ख) सदस्य (वित्त)	सदस्य
(ग) सदस्य (प्राविधिक)	सदस्य
(घ) सदस्य (प्रशासन)	सदस्य

समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें

11–कार्यकारिणी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्य (वित्त), सदस्य (प्राविधिक) और सदस्य (प्रशासन) प्राधिकरण के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे और उनकी नियुक्ति की रीति तथा उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शदाताओं और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

12–(1) अपने कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण उतनी संख्या में जैसा वह आवश्यक समझे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर जैसा विनियमों में अधिकथित किया जाय नियुक्त करेगा।

(2) प्राधिकरण समय–समय पर किसी ऐसे व्यक्ति को सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायं नियुक्त कर सकेगा।

प्राधिकरण का कारबार के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना

13–इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सके, कारबार के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगा।

अध्याय–3

सम्पत्ति और संविदा

प्राधिकरण में कोई भी राज्य राजमार्ग निहित करने या उसे सौपने की राज्य सरकार की शक्ति

14–राज्य सरकार, समय–समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग को, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण में निहित कर सकेगी या उसे सौंप सकेगी।

राज्य सरकार की आस्तियों और दायित्वो का प्राधिकरण को अन्तरण

15–(1) धारा 14 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को और से–

(क) ऐसे दिन से ठीक पहले उस धारा के अधीन प्राधिकरण में निहित या उसे सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें प्राधिकरण के द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के वचनबद्ध समझी जाएंगी ;

(ख) प्राधिकरण में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गये किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उस दिनांक तक उपगत और पूंजीगत व्यय के रूप में घोषित सभी अनावर्ती व्यय ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गयी पूंजी मानी जाएगी।

(ग) प्राधिकरण में इस प्रकार निहित या उसे सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में उस दिनांक से ठीक पहले राज्य सरकार को देय सभी राशियां प्राधिकरण को देय समझी जायेंगी।

(घ) ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी मामले की बाबत उस दिनांक से ठीक पहले राज्य सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गयी हो, या संस्थित की जा सकती थी, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी या संस्थित की जा सकेगी।

(2) यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि राज्य सरकार की आस्तियों अधिकारों या दायित्वों में से कौन से प्राधिकरण को अन्तरित कर दिये गए हैं, तो ऐसे विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण के लिए भूमि का अर्जन

16–इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई भूमि, लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जायेगी और प्राधिकरण के लिए ऐसी भूमि का अर्जन, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा संविदाएं

17–धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकारण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और उसे सम्पादित करने के लिए सक्षम होगा।

प्राधिकरण की ओर सेविदायें करने का ढंग

18–(1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या उसके ऐसे अन्य सदस्य द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे प्राधिकरण इस निमित्त साधारण या विशिष्टतया सशक्त करे और ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जाएंगी ;

परन्तु अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए कोई संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका पूर्वानुमोदन न कर दिया गया हो :–

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी संविदा का प्रारूप और रीति ऐसी होगी, जैसी विनियमों द्वारा अधिकथित की जाए।

(3) कोई भी संविदा जो इस अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबन्धों अनुसार नहीं है, प्राधिकरण पर आबद्धकर नहीं होगी।

अध्याय–4

प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण के कृत्य

19–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह राज्य राजमार्गों तथा राज्य सरकार द्वारा उसमें निहित किए गए या उसे सौंपे गये अन्य किसी राज्यमार्ग का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्ध इस रीति से करे जिससे कि प्राधिकरण राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए उसकी स्थापना के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर सरकारी निधिकरण से पूर्णतः अनाश्रित हो जाए।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए–

(क) उसमें निहित या उसे सौंपे गये राजमार्गों का सर्वेक्षण, विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध कर सकेगा और उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण अन्य बातों के साथ–साथ :–

(एक) उसे सौंपे गये राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण और उन्नयन के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करे ;

(दो) अनुरक्षण संक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक वैज्ञानिक खडंजा प्रबन्ध प्रणाली का विकास करेगा और राज्य राजमार्गों के रूपांकन और निर्माण के लिए मानक निर्धारित करे ;

(तीन) निजी और संस्थागत निधिकरण को जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय निधिकरण भी है, सड़क सेक्टर में लाने के लिए प्रतिरूप विकसित करेगा ;

(चार) राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए उच्च कोटि के निजी संविदाकारों द्वारा निष्पादन पर आधारित अनुरक्षण प्रणाली की पद्धति का विकास करेगा ;

(पांच) इन राजमार्गों के अनुरक्षण और उन्नयन करने के लिए संस्थागत संसाधन जुटाएगा ;

(छः) इन प्रयोजनों के लिए निजी भागीदारी और संसाधन का प्रोत्साहन करते समय अनुमोदित योजना के अनुसार राजमार्गों का अनुरक्षण और उन्नयन करेगा।

(ख) उसमें निहित या उसे सौंपे गये राजमार्गों के उचित प्रबन्ध के लिए उस पर यानों के चलाए जाने की विनियमित और नियन्त्रित कर सकेगा ;

(ग) राज्य में परामर्शदात्री और निर्माण सेवाओं का विकास और व्यवस्था कर सकेगा और राजमार्गों के विकास अनुरक्षण और प्रबन्ध के सम्बन्ध में या उन पर किन्हीं सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान क्रिया–कलाप चला सकेगा ;

(घ) उनमें निहित या उसे सौंपे गए राजमार्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसी सुविधाओं और प्रसुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा, जो प्राधिकरण की राय में ऐसे राजमार्गों पर यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए आवश्यक हों ;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कृत्यों का अधिक दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन एक या अधिक कम्पनियां बना सकेगा ;

(च) अपने कृत्यों में से किसी कृत्य को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा विहित किया जाय किसी व्यक्ति को सौंप सकेगा या काम पर लगा सकेगा।

(छ) राज्य राजमार्गों से सम्बन्धित विषयों के बारे में राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा ;

(ज) राज्य सरकार की ओर से फीस ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी उस राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं एकत्रित कर सकेगा ;

(झ) ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकरण की प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या उस पर अधिरोपित किसी कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो या उनके आनुषंगिक हों।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह–

(क) प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत करती है ; या

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कर्तव्य या दायित्व की बाबत जिसके अधीन प्राधिकरण या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन अन्यथा न हों, कोई कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अध्याय–5

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान और अतिरिक्त पूंजी

20–राज्य सरकार इस निमित्त विधि द्वारा राज्य विधान मण्डल द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् ,–

(क) ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे, ऐसी पूंजी की व्यवस्था कर सकती है, जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए या उससे सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाय ;

(ख) प्राधिकरण को ऋण या अनुदान स्वरूप ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे. का भुगतान ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कर सकती है जैसाकि राज्य सरकार अवधारित करे।

प्राधिकरण की निधि

21–(1) एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण निधि कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जायगा :–

(क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई कोई अनुदान या सहायता ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या उसके द्वारा लिया गया कोई उधार;

(ग) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई कोई अन्य राशि।

(2) उक्त निधि का उपयोग निम्नलिखित को पूरा करने के लिए किया जायगा :–

(क) ऐसे अनुदानों, उधारों या ऋणों के प्रयोजनों को, जिनके लिए वे प्राप्त हुए हैं, ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण के लिए व्यय ;

(ख) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते, अन्य पारिश्रमिक या सुविधाएं ;

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उददेश्यों पर और प्रयोजनों के लिए व्यय।

बजट

22–प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर और ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, अगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपन बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जायेंगे और इसे वह राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

निधियों का विनिधान

23–प्राधिकरण, अपनी निधियों (जिनके अन्तर्गत कोई आरक्षित निधि है) का विनिधान, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा ऐसी अन्य रीति से, जैसी विहित की जाए कर सकेगा।

प्राधिकरण को उधार लेने की शक्ति

24–(1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार की सम्मति से या राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी साधारण या विशेष प्राधिकार के निबन्धनों के अनुसार बन्ध–पत्रों, डिबेंचरों या ऐसी ही अन्य लिखतों का, जैसी वह ठीक समझे, निर्गमन करके किसी भी स्रोत से धन उधार ले सकेगा।

(2) प्राधिकरण ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी राज्य सरकार, समय–समय पर अधिकथित करे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित रकम ओवर ड्राफ्ट के रूप में या अन्यथा अस्थायी रूप से उधार ले सकेगा।

(3) राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अधीन लिए गये उधारों की बाबत, मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रत्याभूति कर सकेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

25–प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो निहित किया जाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया–कलाप का पूरा ब्यौरा देगा और ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

26–प्राधिकरण का लेखा, राज्य के महालेखाकार के परामर्श से ऐसी रीति से रखा जाएगा और उसकी लेखा परीक्षा ऐसे की जाएगी जो विहित की जाय तथा प्राधिकरण ऐसे लेखाओं की एक लेखा परीक्षित प्रति तत्संबंधी लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के साथ ऐसे दिनांक जैसाकि विहित की जाए से पूर्व राज्य सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

27–राज्य सरकार विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र रखवाएगी।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

शक्तियों का प्रत्यायोजन

28–शासी परिषद् साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष या परिषद् की उप समिति या कार्यकारिणी समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए. जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन, जिन्हें वह आवश्यक समझे, कर सकेगा. इसके सिवाय निम्नलिखित कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग केवल परिषद् द्वारा किया जाएगा ;

(क) बाजार या वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक निधियों को उधार लेना। इसमें कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक निधियों और ओवर ड्राफ्ट की व्यवस्था सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त करना, जिनका मूल वेतन नियमावली में यथाविहित किसी धनराशि से अधिक हो।

(ग) प्राधिकरण के कार्य के लिए विनियमों का बनाया जाना और यदि अपेक्षित हो तो उनमें संशोधन करना।

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

29–प्राधिकरण के सभी आदेश विनिश्चय और अन्य लिखते अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जायेंगे जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

प्राधिकरण के कर्मचारियों का लोक सेवक होना

30–प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तब भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ में और राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली या निदेशों के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण

31–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों या विनियमों के अधीन में सदभावपूर्वक की गई या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या सम्भाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी।

कतिपय संकर्मो का भार ग्रहण करने की प्राधिकरण की शक्ति

32–प्राधिकरण, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किन्हीं संकर्मों या सेवाओं या संकर्मों या सेवाओं के किसी वर्ग को कार्यान्वित करने का भार ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर ग्रहण कर सकेगा जो प्राधिकरण और राज्य सरकार या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के बीच तय पायी जायं।

प्रवेश करने की शक्ति

33–इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण द्वारा साधारण या विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और–

(क) निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप मूल्यांकन या जांच कर सकेगा ;

(ख) तलमाप ले सकेगा ;

(ग) खोद कर या अवमृदा के भीतर वेधन कर सकेगा ;

(घ) संकर्म की सीमाएं और आशयित रेखाएं लगा सकेगा ;

(ङ) चिन्ह लगाकर और खाइयां खोदकर ऐसा तल, सीमा रेखाएं और रेखाएं चिन्हित कर सकेगा, या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा, जो विहित की जायें ;

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी सीमा के भीतर या निवास गृह से संलग्न, किसी घिरे आंगन या बाग में प्रवेश करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घण्टे की लिखित सूचना ऐसे अधिभोगी को पहले ही दिया बिना (ऐसा करने के लिए उसके अधिभोगी की सहमति के सिवाय) प्रवेश नहीं करेगा।

किसी राज्य राजमार्ग के प्रबन्ध से प्राधिकरण को अस्थायी रूप से वंचिज करेन की राज्य सरकार की शक्ति

34–(1) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा प्राधिकरण को निदेश दे सकेगी कि वह किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास अनुरक्षण या प्रबन्ध ऐसे दिनांक से और ऐसी अवधि के लिए और ऐसे व्यक्ति को जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय सौंप दे और प्राधिकरण ऐसे निदेश का अनुपालन ने के लिए बाध्य होगा।

(2) जहां किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास, अनुरक्षण या प्रबन्ध उपवास (1) के अधीन विभिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को (जिसे आगे इस धारा में प्राधिकृ त व्यक्ति कहा गया है) सौंपा जाता है वहां प्राधिकरण ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन ऐसे अनुदेशों के यदि कोई हो, अनुसार किया जाएगा जो प्राधिकृत व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए जायं ;

परन्तु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग या कृत्य का निर्वहन नहीं किया जाएगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) में वर्णित अवधि को जैसा वह आवश्यक समझे घटा या बढ़ा सकेंगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेश के प्रवर्तन के दौरान, राज्य सरकार इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह प्राधिकरण को समय–समय पर ऐसे निदेश दे जो उस राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, जिसका प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपा गया है, उस प्राधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए और विशिष्टतया राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रबन्ध के लिए प्राधिकरण की निधि से कोई धनराशि उस प्राधिकृत व्यक्ति को अन्तरित करने के लिए आवश्यक हो और प्राधिकरण ऐसें प्रत्येक निदेश का अनुपालन करेगा।

(5) किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के प्रवर्तन की समाप्ति पर प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा और प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन जारी रखेगा।

(6) किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के प्रवर्तन की समाप्ति पर प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी कोई संपत्ति (जिसके अन्तर्गत कोई धनराशि या अन्य आस्ति भी है) जो ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रबन्ध में उसके पास शेष रही हो, प्राधिकरण को सौंप देगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

35–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे :–

(क) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सदस्य (प्राविधिक) सदस्य (वित्त) और सदस्य (प्रशासन) की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ख) अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और समिति के अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ग) ऐसे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य राजमार्ग के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उपगत अनावर्ती व्यय धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के लिए उपबन्धित पूंजी के रूप में माना जाएगा ;

(घ) धारा 28 के खण्ड (ख) के अधीन मूल वेतन ;

(ङ) ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अध्यधीन रहते हुए धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के कृत्यों को न्यस्त किया जाय ;

(च) ऐसा प्रारूप जिसमें और समय जिसके भीतर प्राधिकरण धारा 22 के अधीन अपना बजट और धारा 25 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(छ) ऐसी रीति जिससे प्राधिकरण धारा 23 के अधीन अपनी निधि को विनिहित कर सकेगा ;

(ज) ऐसी रीति जिससे प्राधिकरण के लेखे धारा 26 के अधीन रखे जायेंगे और उनकी लेखा परीक्षा कराई जाएगी तथा ऐसा दिनांक जिसके पूर्व लेखाओं की सम्परीक्षित प्रति तथा उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, राज्य सरकार को भेजी जाएगी ;

(झ) धारा 33 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग से सम्बन्धित शर्तें और निबन्धन ;

(ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सके।

विनियम बनाने की प्राधिकरण की शक्ति

36–(1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात :–

(क) परिषद और समिति के अधिवेशन के लिए समय और स्थान, और ऐसे अधिवेशनों में किए जाने वाले कारवार के संव्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

(ख) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें भर्ती की पद्धति और पारिश्रमिक ;

(ग) ऐसा प्रारूप जिसमें और ऐसी रीति जिससे प्राधिकरण द्वारा कोई संविदा की जा सकेगी और ऐसी संविदाएं या संविदाओं के वे वर्ग, जिन्हें प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित किया जाना है।

(घ) राज्य राजमार्ग के सामान्य कार्यकरण के लिए उसके ऊपर की बाधाओं को निवारित करने की रीति,

(ङ) राज्य राजमार्ग पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न स्थानों पर, किसी यान या गाड़ी के ठहरने या प्रतीक्षा में रखने के प्रतिषेध की रीति ;

(च) राज्य राजमार्ग के किसी भाग तक पहुंच को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की रीति ;

(छ) राज्य राजमार्ग पर और उसके आसपास विज्ञापन के विनियमन या निर्बन्धन करने की रीति ;

(ज) प्राधिकरण के कारबार के जिसके अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधान भी है, संव्यवहार की रीति, और

(झ) सामान्यतया राज्य राजमार्गों का दक्ष और उचित प्रबन्ध और अनुरक्षण।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

37–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ;

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और अपवाद

38–(1) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2004

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य राजमार्गों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को गतिशीलता देने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 8 सन् 1988) के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाया जाय। प्राधिकरण का मुख्य कृत्य राज्य राजमार्गों और राज्य सरकार द्वारा उसमें निहित किए गये या उसे सौंपे गये अन्य किसी राजमार्ग का विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध करना होगा। प्राधिकरण की एक शासी परिषद होनी चाहिए जो उक्त प्राधिकरण की उच्चतम नीति निर्माता निकाय होगी। शासी परिषद् की प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होनी चाहिए।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 जून, 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।